उत्तर पश्चिम रेलवे

RBE NO. 100/2012

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 100/2012
दिनांक 18-9-2012

सं. 655E/0/MACP

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण– जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– जयपुर.

विषय :- MACP Scheme for Railway Servants – Treatment of Employees selected under LDCE/GDCE Scheme – Clesification Reg.

संदर्भ :- Rly. Bds. No. PC-V/2009/ACP/2 Dt. 12-9-12

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 12-9-12 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:–

1. महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियॉं।
2. महासचिव– यूपीआरएमएस 15 प्रतियॉं।
3. महासचिव– एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियॉं।
4. महासचिव– ओबीसी एसो. 05 प्रतियॉं।
5. महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो. 15 प्रतियॉं।
6. महासचिव – आर.पी.एफ. एसो. 05 प्रतियाँ

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD)/रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VI/ 299
No. PC-V/2009/ACP/2

RBE No.100/2012
New Delhi, dated 12 /09/2012

The General Manager/OSDs/CAO(R)
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: MACP Scheme for Railway servants – treatment of employees selected under LDCE/GDCE Scheme - clarification reg.

References have been received from Zonal Railways seeking clarification regarding grant of benefits under MACPS in respect of the employees qualifying through LDCE/GDCE. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel & Training (DoP&T), the nodal department of Government on MACPS and it has been decided as under:-

(i) if the relevant RRs provide for filling up of vacancies in a grade by Direct Recruitment, induction of an employee to that grade through LDCE/GDCE may be treated as Direct Recruitment for the purpose of grant of financial upgradation under MACPS. In such cases past service rendered in a lower pay scale/Grade Pay shall NOT be counted for the purpose of MACP Scheme.

(ii) if the relevant RRs prescribe a promotion Quota to be filled on the basis of LDCE/GDCE, such appointment would be treated as promotion for the purpose of benefit under the MACPS and in such cases, past regular service shall also be counted for further benefits, if any, under the MACP Scheme.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Hindi version is enclosed.

(N. P. Singh)
Dy. Director/ Pay Commission-V
Railway Board

No. PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 12/09/2012
Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

D:\MANOJ General Orders MACPS Clarifications GDCE_LDCE.doc

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्र.सं.-VI/ 299
सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2

आरबीई सं. 100 /2012
नई दिल्ली, दिनांक 12 /09/2012

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(रेलें)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: एलडीसीई/जीडीसीई योजना के अंतर्गत चुने गए रेल कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें एलडीसीई/जीडीसीई के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी), जो एमएसीपीएस के संबंध में सरकार का नोडल विभाग है, के परामर्श से जांच की गई है और निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(i) यदि संगत भर्ती नियमों में सीधी भर्ती द्वारा ग्रेड में रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जाती हो तो एलडीसीई/जीडीसीई के माध्यम से उस ग्रेड में कर्मचारी के समावेशन को एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेशन देने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के रूप में माना जाए। इस प्रकार के मामलों में निम्न वेतनमान/ग्रेड पे में की गई विगत सेवा को एमएसीपी योजना के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।

(ii) यदि संगत भर्ती नियमों में एलडीसीई/जीडीसीई के आधार पर भरा जाने वाला <u>पदोन्नति संबंधी कोटा</u> निर्धारित हो तो इस प्रकार की नियुक्ति को एमएसीपी के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पदोन्नति के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार के मामलों में पिछली नियमित सेवा को एमएसीपी योजना के अंतर्गत आगे लाभों, यदि कोई हो, के लिए भी गिना जाएगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन.पी. सिंह)
उप निदेशक/ वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड